JALAUN POLICE

दिनांक – 16.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम- अभियुक्त भरत कुमार पुत्र स्व0 सालिगराम नि0 ग्राम व थाना आटा जनपद जालौन द्वारा वादी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट करने के सम्बन्ध में वादी श्री फुन्दीलाल उर्फ रमेश पुत्र करन अहिरवार नि0 ग्राम व थाना आटा जनपद जालौन की तहरीर के आधार पर दिनांक 06.07.2021 को थाना आटा पर मु0अ0सं0 136/2021(वाद संख्या 122/21) धारा 323/504 भादवि व 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 12.07.2021 को आरोप पत्र मान0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 16.01.2026 को मा0 न्यायालय एससी एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त भरत कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी श्री श्याम सुन्दर पुत्र रामदास नि0 ग्राम पिरौना थाना एट जनपद जालौन की मोटरसाइकिल चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में वादी की की तहरीर के आधार पर दिनांक 03.05.2015 को कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 1367/2015(वाद संख्या 9ए/16) धारा 379/411/413/414 भादवि अभियोग पंजीकृत हुआ था। कोतवाली उरई पुलिस द्वारा दिनांक 26.06.2015 को अभियुक्त जयपाल पुत्र लक्ष्मी नारायण नि0 मोहल्ला पुराना रामनगर कोतवाली उरई जनपद जालौन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 21.08.2015 को आरोप पत्र मान0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 16.01.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे कोर्ट प्रथम, उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जयपाल उपरोक्त को दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कारावास एवं 3,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।